

Speed post /त्रिव डाक

1/20812/2023

Violation letter/उल्लंघन पत्र

भारत सरकार
खानमंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खाननियंत्रायक का कार्यालय
माखूपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर
ई-मेल: ro.ajmer@ibm.gov.in



Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of
Mines, Makhupura Industrial Area,
Ajmer- 305002
Ph-145-2695165/2695476 Fax-
2695202

संख्या: MCDR-MiFLOLST/11/2023-AJM-IBM_RO_AJM

दिनांक: /11/2023

प्रेषित: खान एजेंट,

भटकोटरी चुना पत्थर खान,

मेसर्स: वन्दर सिमेन्ट लिमिटेड,

पोस्ट: आर. के. नगर, निम्बाहेरा, जिला: चित्तोड़गढ़ (राज.)- 312601

(e-mail: nitin.jain@wondercement.com, raju.jain@wondercement.com,nbh.mines@wondercement.com)

विषय: राजस्थान राज्य के चित्तोड़गढ़ जिले में स्थित आपकी भटकोटरी चुना पत्थर खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के उल्लंघन के संदर्भ में।

महोदय,

The following provision of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 (hereinafter referred as MCDR, 2017) were found violated in your above said mine during inspection on 23/10/2023 and 24/10/2023 by undersign in presence of Sri Raju Jain, Mines Manager and Sri Kuldeep Choubisa, Geologist of your mine.

Rule	Status and extent of violation
11(1)	<p>Mining operations have not been carried out in accordance to Modification of Review of Mining Plan approved on 18/11/2022 to the extent given below for the year 2022-23:</p> <p>(1) Screen reject dumping has not been carried out over the approve/proposed area and same has been carried out over the area approved/proposed for top soil staking.</p> <p>(2) Top soil has been staked over the non-approved area bounded with UTM, WGS 84 the coordinates N2728823 to 2728922 and E460048 to 460197.</p> <p>(3) Dumping of the Mineral/waste in scattered manner has been observed at non-approved area i.e south side of the existing pit.</p> <p>(4) Proposed retaining wall of 250 meters along waste dump has not been constructed.</p> <p>(5) Stripping ratio of 7.77 T/CuM was proposed for the year, whereas same has been achieved as 1:62.59 T/CuM.</p> <p>(6) Plantation has not been carried out over the proposed location, Resulting deviation in proposed location of planatation.</p>

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियम के उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत:

(क) आपकी खान कि सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है ।

(ग) राज्य सरकार को खनन पट्टे की समाप्ति की सिफारिश जा सकती है।

1/20812/2023

अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप परोक्त नियम के उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(दिलीप जैन)

वारिष्ठ खनन वैज्ञानिक

भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:

1. खान नियंत्रक (उत्तर) भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर। (email द्वारा)
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
3. सहायक खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, निम्बाहेड़ा।
4. रक्षित पत्रवली।

वारिष्ठ खनन वैज्ञानिक

भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर